सत्यमेव जयते

झारखण्ड गजट

असाधारण अंक

झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

संख्या- 687 राँची, शुक्रवार, 14 श्रावण, 1938 (श०) / 5 अगस्त, 2016 (ई०)

कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग।

संकल्प

8 जुलाई, 2016

कृपया पढ़े:-

1. संयुक्त मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी-सह-संयुक्त सचिव, मंत्रिमंडल निर्वाचन विभाग, राँची का पत्रांक-4693, दिनांक 14 अक्टूबर, 2014
2. उपायुक्त, सिमडेगा का पत्रांक-1522(ii)/गो०, दिनांक 24 सितम्बर, 2014
3. कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग, झारखण्ड, राँची का पत्रांक-10798, दिनांक 10 नवम्बर, 2014 एवं पत्रांक-411, दिनांक 16 जनवरी, 2015

संख्या- 5/आरोप-1-557/2014 का.- 5745-- श्री राम सागर, सेवानिवृत झा०प्र०से०, (कोटि क्रमांक-369/03, गृह जिला- पलामू), के परियोजना निदेशक, आई०टी०डी०ए०, सिमडेगा के पद पर कार्यावधि से संबंधित संयुक्त मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी-सह-संयुक्त सचिव, मंत्रिमंडल निर्वाचन विभाग, राँची के पत्रांक-4693, दिनांक 14 अक्टूबर, 2014 के माध्यम से उपायुक्त, सिमडेगा के पत्रांक-1522(ii)/गो०, दिनांक 24 सितम्बर, 2014 द्वारा प्रपत्र- 'क' में आरोप प्रतिवेदित हैं ।

प्रपत्र- 'क' में इनके विरूद्ध निम्न आरोप लगाये गये हैं:-

आरोप सं०-1- लोक सभा निर्वाचन, 2014 के दौरान श्री राम सागर, तत्कालीन परियोजना निदेशक, आई०टी०डी०ए०, सिमडेगा को जिला स्तरीय कार्मिक कोषांग का नोडल पदाधिकारी प्रतिनियुक्त किया गया था । दिनांक 17 अप्रैल, 2014 को निर्वाचन के समाप्ति के तुरंत बाद निर्वाचन कार्य में शिथिलता

बरतने वाले/अनुपस्थित पाये गये कर्मियों के विरूद्ध कार्रवाई हेतु संचिका उपस्थापित करने के लिए निर्देश दिया गया था । इस कार्य में इनके द्वारा शिथिलता बरती गयी तथा जानबूझकर टाल-मटोल किया गया । पुनः दिनांक 4 जुलाई, 2014 की बैठक में इन्हें आदेश दिया गया । तत्पश्चात् कार्यालय के पत्रांक-1282(ii)/गो०, दिनांक 9 जुलाई, 2014 के द्वारा इनसे कार्य में शिलिलता के लिए स्पष्टीकरण की माँग की गयी। परन्तु इनके द्वारा वास्तविक रूप से अनुपस्थित कर्मियों को चिन्हित करने में कोई रूचि नहीं दिखाई गई ।

<u>आरोप सं०-2-</u> पुनः कार्यालय के पत्रांक-1322(ii)/गो०, दिनांक 21 जुलाई, 2014 द्वारा इनसे स्पष्टीकरण पूछते हुए दो दिनों के अन्दर प्रतिवेदन उपलब्ध कराने का निर्देश दिया गया । इसके अनुपालन में श्री सागर द्वारा दिनांक 23 जुलाई, 2014 को कुल 160 अनुपस्थित कर्मियों की सूची तैयार की गयी परन्तु सूची में वर्णित कर्मियों की जानकारी जिला निर्वाचन पदाधिकारी-सह-उपायुक्त, सिमडेगा को दिये बिना अपने स्तर से बिना पुर्वानुमति के उपायुक्त का हस्ताक्षरयुक्त मुहर का प्रयोग कर संबंधित कर्मियों से स्पष्टीकरण पूछा गया । स्पष्टीकरण प्राप्त होने के पश्चात् दिनांक 8 अगस्त, 2014 एवं 21 अगस्त, 2014 को दो अलग-अलग संचिका उपस्थापित किया गया ।

श्री सागर द्वारा आदेश का अनुपालन अत्यंत ही गैर जिम्मेदराना रूप से किया गया तथा अनेक वैसे कर्मियों से स्पष्टीकरण की माँग की गयी, जो किसी न किसी रूप में निर्वाचन कार्य में उपस्थित थे । इस प्रकार इनके द्वारा कतिपय कर्मियों को बचाने के प्रयास के क्रम में निर्दोष कर्मियों से भी कारण पृच्छा की गई । इनके द्वारा निर्वाचन कार्य में शिथिलता एवं अनियमितता बरती गयी है ।

उक्त आरोपों हेतु विभागीय पत्रांक-10798, दिनांक 10 नवम्बर, 2014 द्वारा श्री सागर से स्पष्टीकरण की माँग की गयी, जिसके अनुपालन में इनके पत्रांक-404 (ii)/ITDA, दिनांक 15 दिसम्बर, 2014 द्वारा स्पष्टीकरण समर्पित किया गया, जिसमें श्री सागर द्वारा निम्न तथ्यों का उल्लेख किया गया है:-

<u>आरोप सं०-1 पर स्पष्टीकरण-</u>

(क) उपायुक्त, सिमडेगा के द्वारा यह आरोपित नहीं किया गया है कि कौन-कौन से कर्मियों द्वारा निर्वाचन कार्य में असहयोग किया गया और कौन-कौन से कर्मियों को इनके द्वारा बचाया गया। इसके समर्थन में कोई साक्ष्य संलग्न नहीं है, इसलिए आरोप निराधार है ।

(ख) उपायुक्त, सिमडेगा के निदेश पर प्रथम चरण में दिनांक 26 अप्रैल, 2014 को कुल 51 ऐसे कर्मियों को चिह्नित किया गया था, जो दिनांक 15 अप्रैल, 2014 को निर्वाचन कार्य में मतदान पदाधिकारी P_1, P_2, P_3 के रूप में एस०एस० उच्च विद्यालय, सिमडेगा के प्रांगण में अपने-अपने संबंधित पंडाल में योगदान नहीं दिये थे या उपस्थिति पत्रक पर उपस्थिति दर्ज नहीं किये थे । चिन्हित किये गये कर्मियों की सूची को जिला सूचना एवं विज्ञान पदाधिकारी (D०I०O०) श्री आशुतोष कुमार शेरपा (कार्मिक कोषांग के पदाधिकारी) को दिखाकर कर उनसे परामर्श लिया गया । श्री शेरपा द्वारा उक्त सूची को देखने के बाद कुछ नामों को क्रॉस किया गया और कहा गया कि ये कर्मी विभिन्न प्रखण्डों में प्रखण्ड विकास पदाधिकारी को निर्वाचन कार्य में सहयोग प्रदान किये हैं ।

(ग) श्री शेरपा से हुए विमर्श के पश्चात् कुल 33 कर्मियों को स्पष्टीकरण का प्रारूप उपायुक्त के समक्ष उपस्थापित किया गया था और उनके सहमति एवं अनुमोदन के पश्चात् संबंधित कर्मियों को

7 दिनों के अन्दर स्पष्टीकरण देने हेतु प्रेषित किया गया था । इस कार्य में कार्मिक कोषांग के दो कर्मी- श्रीमती मटिल्डा एक्का एवं श्री अगुस्टिन एक्का को संचिका संधारण करने की जिम्मेवारी दी गयी थी ।

(घ) कतिपय अनुपस्थित कर्मियों द्वारा स्पष्टीकरण नियत समय तक जमा नहीं किया गया और कुछ के द्वारा विलंब से जमा किया गया था, जिसे संचिका में संधारित किया गया था । इस संचिका को उपायुक्त स्तर पर उपस्थापित करने में सहायक स्तर पर 25 दिनों का विलंब हुआ एवं संचिका उपायुक्त के गोपनीय कार्यालय में भेजा गया ।

(ङ) संचिका को त्वरित गति से उपायुक्त के समक्ष उपस्थापित नहीं किये जाने के लिए कार्मिक कोषांग को उक्त दो कर्मी को हटाकर जिला स्थापना कार्यालय में योगदान करने का दण्डात्मक कार्रवाई उपायुक्त द्वारा की गई परन्तु संचिका में कुल 33 कर्मियों के विरूद्ध कोई आदेश उपायुक्त द्वारा पारित नहीं किया गया ।

(च) संचिका उपायुक्त गोपनीय कार्यालय में पूरे जून माह तक लंबित रहा । उपायुक्त द्वारा दिनांक 4 जुलाई, 2014 को समाहरणालय स्थित अपने प्रकोष्ट में मतदान कर्मियों के स्पष्टीकरण संबंधी संचिका के निस्तारण के लिए बैठक की गयी, जिसमें तत्कालीन उप विकास आयुक्त श्री शिवेन्द्र सिंह, अपर समाहर्त्ता श्री सुर्य प्रकाश तथा श्री सागर उपस्थित थे । उपायुक्त द्वारा अपने गोपनीय कार्यालय से उक्त संचिका को मंगवाकर सभी मतदान पदाधिकारी द्वारा समर्पित स्पष्टीकरण को एक-एक कर अध्यन और विचारण किया गया, जिसमें किसी भी कर्मी को दण्डात्मक कार्रवाई के लिए उचित कारण नहीं पाया गया । इस स्थिति में उपायुक्त श्री राजीव रंजन असंतुष्ट हो गये और बैठक में मौजूद तत्कालीन अपर समाहर्त्ता और तत्कालीन उप विकास आयुक्त के समक्ष अपर समाहर्त्ता और इन्हें निर्वाचन कार्य में कथित रूप से असहयोग करने वाले कर्मियों को पुनः चिह्नित करने की जिम्मेवारी दी गयी और दूसरी तरफ श्री सागर पर आरोप लगया गया कि इन्होंने निर्वाचन कार्य में असहयोग करने वाले कर्मियों को बचाने की कुचेष्टा की है । उपायुक्त द्वारा इसके लिए श्री सागर से स्पष्टीकरण की माँग की गयी, जिसका जवाब इनके द्वारा समर्पित कर दिया गया था ।

<u>आरोप सं०-2 पर स्पष्टीकरण-</u>

(क) सिमडेगा जिला में लोक सभा चुनाव, 2014 के दौरान लगभग 200 महिला मतदान कर्मियों P_1, P_2, P_3 का डाटाबेस एन०आई०सी० सिमडेगा द्वारा तैयार किया गया था । इन महिला कर्मियों का तृतीय रेण्डमनाईजेशन में सिमडेगा जिला के दूर दराज के पहाड़ी एवं उग्रवाद इलाके में पड़ने वाले मतदान केन्द्र पर मतदान पदाधिकारी के रूप में ड्यूटी लगाई गई थी । इसकी जानकारी इन्हें दिनांक 15 अप्रैल, 2014 को प्रातः 8:30 बजे हुई । मतदान केन्द्रों पर जाने से महिला कर्मी घबराई हुई थी और इनके द्वारा अपनी समस्या पंडाल में उपस्थित उपायुक्त, सिमडेगा एवं अन्य पदाधिकारियों के साथ आरोपी पदाधिकारी के समक्ष भी रखा गया था । इस पर वरीय पदाधिकारियों द्वारा विचार करते हुए महिला मतदान पदाधिकारियों को दूर दराज के इलाकों में मतदान केन्द्रों पर नहीं भेजने का निर्णय हुआ । महिला मतदान पदाधिकारियों के बदले सुरक्षित पुलिस मतदान पदाधिकारियों को ड्यूटी पर लगाया गया । यह कार्य दिनांक 15 अप्रैल, 2014 को रात्रि 09:00 बजे तक पूर्ण हुआ ।

(ख) उपायुक्त, सिमडेगा द्वारा उक्त कार्य का निरंतर निगरानी किया जा रहा था । उन्हें प्रतीत हुआ कि बहुत सारे मतदान कर्मी चुनाव ड्यूटी पर उपस्थित नहीं हुए और निर्वाचन कार्य में असहयोग किया गया । इसलिए इन्हें दण्डित करने हेतु चिह्नित करने की जिम्मेवारी उपायुक्त द्वारा श्री सागर को सौंपी गई । इसका अनुपालन श्री सागर द्वारा किया गया, जिसकी चर्चा इनके द्वारा प्रथम आरोप में किया गया है ।

(ग) कथित रूप से अनुपस्थित कर्मियों के मामले में निर्णय लेने के लिए संचिका उपायुक्त के आवासीय कार्यालय में भेजी गयी थी परन्तु जून, 2014 तक कोई निर्णय नहीं लिया गया ।

(घ) उपायुक्त के निदेश दिनांक 4 जुलाई, 2014 के आलोक में अनुपस्थित मतदान कर्मियों को पुनः चिह्नित किया गया, जिसमें कर्मियों की संख्या-160 तक पहुँच गई थी, जिन्हें उपायुक्त के निदेश के आलोक में स्पष्टीकरण देने के लिए उपायुक्त के Fascimile का प्रयोग कार्यवाहक सहायक श्री राजनाथ मांझी द्वारा पूर्व की भांति किया गया था । व्यक्तिगत तौर पर कर्मियों को नोटिस देने का कोई प्रश्न नहीं था । जिला स्तर पर निर्वाचन कार्य जिला पदाधिकारी-सह-उपायुक्त के बिहाफ में प्राधिकृत पदाधिकारी द्वारा किये जाते हैं ।

(ङ) तत्कालीन उपायुक्त का व्यवहार समाहरणालय के कर्मियों/ पदाधिकारियों को डांट-डपटकर डराने/धमकाने और अपमानित करने का था । इस स्थिति में उपायुक्त से मिलना-जुलना असहज था । अनुपस्थित कर्मियों में अधिकांश कर्मी महिला थी, जिन्हें दिनांक 15 अगस्त, 2014 को प्रातः 10:00 बजे ज्ञात हो गया था कि अब उन्हें मतदान केन्द्र पर मतदान कराने के लिए नहीं जाना है । संभवतः इसी कारणवश महिला मतदान कर्मियों द्वारा अपनी उपस्थिति बनाना आवश्यक नहीं समझा गया होगा । इसके अतिरिक्त स्वास्थ्य विभाग के कर्मियों की भी तृतीय रेण्डमनाइजेशन में मतदान केन्द्रों पर ड्यूटी लगी थी परन्तु उन्हें भी जिला असैनिक चिकित्सा पदाधिकारी के अनुशंसा /अनुरोध पर मुक्त कर दिया गया था और उनके बदले रिजर्व से पुरूष मतदान पदाधिकारियों को फिलअप किया गया था ।

(च) द्वितीय चरण में उपायुक्त के निदेश दिनांक 4 जुलाई, 2014 के आलोक में महिला मतदान कर्मी, जिन्होंने उपस्थिति पत्रक पर अपनी उपस्थिति नहीं बनायी थी, को उपायुक्त के स्तर से स्पष्टीकरण पूछे जाने के पक्ष में श्री सागर सहमत नहीं थे ।

(छ) तत्कालीन उपायुक्त श्री राजीव रंजन का सिमडेगा में पहली पदस्थापन थी । स्थानांतरण के बाद विदाई कार्यक्रम में उन्होंने स्वीकार भी किया कि उपायुक्त, सिमडेगा के रूप में प्रथम पदस्थापन होने के कारण उनमें अनुभव की कमी थी ।

(ज) सांसद योजना में क्षेत्रीय सांसद माननीय श्री कड़िया मुण्डा, तत्कालीन उपाध्यक्ष, लोक सभा द्वारा अनुशंसित योजनाओं को उपायुक्त श्री राजीव रंजन द्वारा नहीं मानकर श्री सागर से अपने मनोनुकूल टिप्पणी दिलवाना चाहते थे, जो उचित नहीं था । श्री सागर द्वारा इस मामले में स्वयं ही आवश्यक निर्णय लेने के लिए पत्र द्वारा सूचित किया गया था ।

(झ) तत्कालीन उपायुक्त, सिमडेगा का विशेष लगाव आत्मा सिमडेगा के पदाधिकारी विशेषकर डिप्टी पीडी श्री कृष्ण बिहारी से हो गया था। आत्मा सिमडेगा को वे क्रमशः Bredd Improvement and Dairy Development Scheme में 60 लाख, Promotion Extension Scheme में 15 लाख, Brood Lac Farm Scheme में 33 लाख कुल 1.8 लाख रूपये बिना काम के ही द्वितीय अग्रिम देने के लिए श्री सागर पर

लगातार दबाव डाल रहे थे, जिसका अनुपालन जनहित में नहीं था, क्योंकि पूर्व में ली गई प्रथम अग्रिम की व्यय विवरणी और विभिन्न योजनाओं का प्रगति प्रतिवेदन उपलब्ध नहीं करायी गयी थी। इसलिए श्री सागर द्वारा इनके आदेश का अनुपालन नहीं किया गया एवं कठिनाई तथा अपनी सीमाओं से तत्कालीन उपायुक्त को अवगत करा दिया गया ।

(ञ) श्री सागर का कहना है कि उपायुक्त द्वारा अपने पद का लाभ लेकर उनके विरूद्ध आरोप लगाकर मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी, झारखण्ड, राँची सहित अन्य पदाधिकारियों को निराधार आरोप लगाकर उन्हें गुमराह करने की कोशिश की गयी है, ताकि इनकी सेवा पर प्रतिकूल प्रभाव पड़े ।

(ट) उपायुक्त द्वारा इनके विरूद्ध निर्वाचन कार्य को सम्पादित करने में अक्षम रहने का आरोप लगाया गया है, इस संबंध में इनका कहना है कि इनके द्वारा 1984 से लेकर 2014 तक बिहार/झारखण्ड में सम्पन्न हुए निर्वाचनों में पदीय दायित्व का निर्वहन सफलतापूर्वक किया गया है। इनके विरूद्ध कभी कोई शिकायत किसी भी पक्ष द्वारा नहीं किया गया ।

(ठ) तत्कालीन उपायुक्त का इनके प्रति व्यवहार इनके अनुसूचित जाति के पदाधिकारी होने के कारण इन्हें नीचा देखाने, हानि पहुँचाने के लिए दुराग्रहपूर्ण एवं हमेशा प्रड़ताड़ित करते रहने का था।

श्री सागर से प्राप्त स्पष्टीकरण पर विभागीय पत्रांक-411, दिनांक 16 जनवरी, 2015 द्वारा उपायुक्त, सिमडेगा से मंतव्य उपलब्ध कराने हेतु अनुरोध किया गया एवं स्मारित भी किया गया। उपायुक्त, सिमडेगा के पत्रांक-01(ii)/गो०, दिनांक 2 जनवरी, 2016 द्वारा मंतव्य उपलब्ध कराया गया, जो निम्नवत् है:-

उपायुक्त, सिमडेगा का कहना है कि श्री सागर के विरूद्ध लगाये गये आरोप तथ्यपरक नहीं है । कार्यहित में प्रायः सामुहिक अथवा शीर्ष स्तर पर लिये गये निर्णय के अनुसार निर्वाचन से संबंधित गतिविधियाँ संचालित होती हैं एवं निर्वाचन कार्यों के ससमय एवं अबाधित संपादन हेतु उपायुक्त के हस्ताक्षरयुक्त मुहर उपयोग किये जाते हैं । ऐसी परिस्थिति में एक पदाधिकारी विशेष को आरोपित किया जाना अचैत्यपूर्ण प्रतीत नहीं होता है । श्री सागर का स्पष्टीकरण संतोषजनक प्रतीत होता है, इसलिए इन्हें आरोप मुक्त किया जा सकता है ।

श्री सागर के विरूद्ध प्राप्त आरोप, इनका स्पष्टीकरण एवं उपायुक्त के मंतव्य की समीक्षा की गई । समीक्षोपरान्त, श्री राम सागर, सेवानिवृत झा०प्र०से०, तत्कालीन परियोजना निदेशक, आई०टी०डी०ए०, सिमडेगा-सह-नोडल पदाधिकारी, लोक सभा निर्वाचन, 2014 कार्मिक कोषांग, सिमडेगा को आरोप मुक्त किया जाता है।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

दिलीप तिर्की,

सरकार के उप सचिव।

झारखण्ड राजकीय मुद्रणालय, राँची द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित,
झारखण्ड गजट (असाधारण) 687 –50 ।